न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी।

पीठसीन अधिकारी–शिव कुमार सिंह (एच0जे0एस0)

I.D. No.UP-5743

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं0–227/2026

कम्प्यूटर पंजीयन सं0–1572/2026

CNR No. UPLP 01003202-2026

जुबैर आयु लगभग 19 वर्ष पुत्र भज्जा निवासी ग्राम व कस्ता मितौली थाना मितौली, जिला लखीमपुर–खीरी। .....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य

.....विपक्षी।

मु0अ0सं0–411/2025
धारा–109(1), 191(2), 191(3), 351(3), 352, 115(2), 126(2) बी0एन0एस0,
थाना–मितौली, जिला खीरी।

09-06-2026

1– अग्रिम जमानत हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता ''दाण्डिक'' उपस्थित।

2– प्रार्थी/अभियुक्त जुबैर की ओर से मु0अ0सं0–411/2025, धारा–109(1), 191(2), 191(3), 351(3), 352, 115(2), 126(2) बी0एन0एस0, थाना–मितौली, जनपद लखीमपुर–खीरी के संबंध में अग्रिम जमानत हेतु यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3– सुना गया एवं उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

4– पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा अवतेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा एक लिखित तहरीर सम्बन्धित थाने पर दिनांक 09.12.2025 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि दिनॉक–08.12.2025, वह अपनी मोटर साइकिल से अपने चचेरे भाई आकाश बहादुर सिंह के साथ घर जा रहा था कि रास्ते में पहले से घात लगाये बैठे विकास, जुबैर, पवन, शहंशाह, सौम्य अवस्थी व तीन–चार और लोग उसे रोककर जान से मारने की नीयत से मारने–पीटने लगे, उसके साथ उसका चचेरा भाई आकाश बहादुर सिंह उसे बचाने लगा तो उसे भी काफी मारा–पीटा। उक्त सभी लोग जब वह, उसका चचेरा भाई मोटरसाइकिल छोड़कर अपने बचाव हेतु भागने लगे तो इन लोगों ने गॉव के

रहने वाले संजय को भी काफी मारा–पीआ। उक्त लोग हाथ में धारदार हथियार व लोहे की रॉड लिये हुये थे तथा विकास के हाथ में तमंचा था। गॉव के काफी लोगों के आ जाने पर सभी लोग मॉ, बहन की गाली व जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। उक्त लोगों ने उसे दिनॉक–21.11.2025 को छाउछ चौराहे पर मारा–पीटा था। उसने थाना कोतवाली सदर में मुकदमा लिखवाया था, इसी मुकदमें की रंजिश को लेकर इन लोगों ने पुनः उसके साथ घटना की है। उन सभी लोगों को चोटें आयी हैं।

5– वादी की उक्त तहरीर के आधार पर संबंधित थाने पर दिनॉक–09.12.2025 को प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सह अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। मामले की विवेचना प्रचलित है।

6– प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में यह कथन किये गए हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त सर्वथा निर्दोष एवं निरपराध है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त मुकदमें में साजिशन व रंजिशन झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध के बाबत प्रार्थी/अभियुक्त पर गलत तथ्यों के आरोप लगाये गये हैं, उसने कथित कोई भी अपराध कारित नहीं किया है। उक्त मामले में कथित घटना दिनॉक–08.12.2025 की बतायी गयी है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनॉक–09.12.2025 को वादी मुकदमा द्वारा काफी सोच–समझकर साजिशी, रणनीति के तहत सलाह मश्विरा करके प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज करा दी गयी है, विलम्ब का कोई भी स्पष्टीकरण कथित दर्ज एफ0आई0आर0 में नहीं दिया गया है और थाने की दूरी भी मात्र 06 किमी0 है। प्रश्गनत घटना में जान से मारने की नीयत से हमला किसने किया, यह भी वादी मुकदमा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित नहीं किया है। उक्त मामले में विकास के हाथ में वादी मुकदमा ने तमंचा होना बताया है और धारदार हथियार व रॉड अन्य लोगों के हाथ में होना बताया है, किसके हाथ में क्या हथियार था, यह स्पष्ट नहीं है, जिससे कथित घटना संदिग्ध प्रतीत होती है, क्योंकि किस व्यक्ति ने किस हथियार से कौन सा प्राणघातक हमला किया है, यह स्पष्ट ही नहीं है। कथित घटना के बाबत जो आरोप प्रार्थी/अभियुक्त पर लगाया गया है, उससे उसका कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त एक मजदूरी पेशा व्यक्ति है, उसने कथित घटना कारित नहीं किया है और न ही वह मौके पर था। उक्त मामले में वादी मुकदमा की रंजिश किस बात की थी और पहले से घात

लगाये उक्त मुकदमें के नामित अभियुक्त क्यों बैठे थे, ऐसा कोई भी विवरण भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित नहीं है। वादी मुकदमा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में एक अन्य मुकदमा भी मारपीट की बाबत लिखाने की बात वर्णित की है, उस घटना का आधार क्या था, किस रंजिश के कारण घटना हुयी थी, इसका भी कोई विवरण नहीं दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त एक सीधा–सादा 19 वर्षीय गरीब मजदूरी करने वाला व्यक्ति है और इसी मजदूरी की आय से उसका घर चलता है, प्रार्थी/अभियुक्त किसी भी लड़ाई–झगड़ा में नहीं रहता है, न ही मुख्य अभियुक्त है। वादी मुकदमा की रंजिश नामित अभियुक्तों में से किससे है, यह भी नहीं बताया गया है और प्रार्थी/अभियुक्त से रंजिश होने का कोई भी आधार नहीं है, न ही रंजिश प्रार्थी/अभियुक्त से वादी मुकदमा की किस प्रकार से है, ऐसा कोई विवरण है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त मामले में गलत तरीके से ही आरोपित किया गया है, कथित अपराध का आधार उस पर नहीं बनता है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही वह शहर प्रदेश या देश छोड़कर जाने वाला है तथा वह विवेचना में पूर्ण सहयोग कर रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त के पलायन की कोई संभावना नहीं है। किसी भी अपराध के संबंध में प्रार्थी/अभियुक्त को कभी भी किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया है तथा उसने कभी कारागार की सजा नहीं भुगती है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय में स्वयं उपस्थित आया है, जिस कारण उसके पलायन की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कथित धाराओं का मामला नहीं बनता है। प्रार्थी/अभियुक्त धारा–482 बी0एन0एस0एस0 के तहत दिये गये प्राविधानों का अनुपालन करने को तैयार है। प्रार्थी/अभियुक्त धारा–482 बी0एन0एस0एस0 के तहत अपनी अग्रिम जमानत देने को तैयार है तथा वह अग्रिम जमानत पर छूटने के पश्चात् दी गयी जमानत की सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेगा। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की याचना की गयी।

7– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता ''दाण्डिक'' द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

8– इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था पी0चिदम्बरम् बनाम प्रवर्तन निदेशालय क्रि0मि0 अपील नं0

1340/2019 निर्णीत दिनांक–09.09.2019 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत उन्हीं मामलों में दी जानी चाहिए, जिनमें अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप आधारहीन तथा फर्जी प्रतीत होते हों।

9– इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुशीला अग्रवाल बनाम स्टेट (एन0सी0टी0 ऑफ देहली) एवं अन्य ए0आई0आर0 ऑनलाइन 2020 एस0सी0 पृष्ठ 74 में यह मत अभिव्यक्त किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते समय न्यायालय द्वारा अभियुक्त की भूमिका, आरोप, आरोपित अपराध की प्रकृति व गंभीरता, प्रार्थी के पूर्व कृत्य विशेषकर पूर्व में दोषसिद्धि आदि, प्रार्थी के न्यायिक प्रक्रिया से भागने की संभावना, प्रार्थी द्वारा पनुः अपराध कारित करने की संभावना, आरोप प्रार्थी को नुकसान पहुॅचाने की नीयत से लगाए जाने, अग्रिम जमानत स्वीकार करने से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, प्रार्थी को धारा–34 व धारा–149 भा0द0सं0 की सहायता से आरोपित करने की परिस्थिति, प्रार्थी को स्वतंत्र विचारण से प्रीज्युडिस होने और उसके निरूद्ध रहने से उसकी प्रताड़ना होने, प्रार्थी की अभिरक्षा अनुचित होने, प्रार्थी द्वारा साक्षियों को तोड़ने–मोड़ने और वादी को धमकी देने की परिस्थिति आदि तथ्यों पर विचारण करना चाहिए।

10– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्तों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से प्रथमदृष्टया विदित है कि प्रार्थी/अभियुक्त तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में वादी मुकदमा व उसके चचेरे भाई आकाश बहादुर सिंह को जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार व लोहे की रॉड से मारपीट कर चोटें पहुॅचाने का कथन अंकित है। प्रश्नगत मामले की विवेचना प्रचलित है। प्रार्थी/अभियुक्त ऐसा कोई भी आधार दर्शित करने में असफल रहा है, जिससे उसकी प्रश्नगत मामले में संलिप्तता आधारहीन एवं फर्जी प्रतीत होती हो। प्रार्थी/अभियुक्त की प्रश्नगत मामले में भूमिका, आरोपित अपराध की गंभीरता, जिसमें आजीवन कारावास तक का दण्ड प्राविधानित है, के दृष्टिगत न्यायालय इस अभिमत की है कि प्रार्थी/अभियुक्त की उक्त धारा के अन्तर्गत अग्रिम जमानत स्वीकार किये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त जुबैर द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनॉक–09.06.2026

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.12 12:03:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court